Scanned with CamScanner

Theories of Punishment.

Q. दंड के प्रतिकारवाद का वर्णन करें?

Ans. अच्छे या शुभ कर्मों के लिए व्यक्ति को पुरस्कार तथा बुरे या अशुभ कर्मों के लिए दंड की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है। अपराधी को दंड मिलना एक नैतिक आवश्यकता है। सजा का एक लक्ष्य यह भी रहता है, इससे डरकर दूसरे व्यक्ति अपराध न करें और समाज में अपराध पर रोक लग सकें। आधुनिक युग में दंड का लक्ष्य अपराधी को सुधारना माना गया है। ∴ दंड के सिद्धांत के तीन प्रकार है - (i) प्रतिकारवाद (ii) निवर्तवाद (iii) सुधारवाद

(i) प्रतिकारवाद - दंड का यह लक्ष्य है कि वह नैतिक नियम की श्रेष्ठता और प्रभुता को बचाये और दोषी को सजा दें। जब कोई अपराधी नैतिक नियम को तोड़ता है तब न्याय का तकाजा है कि उसे सजा मिलनी चाहिए और नैतिक नियमों की प्रतिष्ठा कायम करनी चाहिए। नैतिक नियम सर्वोच्च प्रभुसत्ता है। इसे भंग करनेवाला अवश्य ही दंड का अधिकारी है। अगर अपराधी को सजा नहीं दी जाती तो इससे नैतिक नियमों की गरिमा पर आँच आती है। प्रतिकार का अर्थ है बदला लेना। किसी व्यक्ति ने जिस अनुपात में कोई अपराध किया है तो उसे उसी अनुपात में दंडित करना प्रतिकारवाद है, इस मत की धारणा कि प्रत्येक क्रिया की उसी अनुपात से प्रतिक्रिया होती है। यह सिद्धांत जैसा को तैसा या आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत के मत पर विश्वास करता है। कर्त्ता को अपने कर्मों का प्रतिफल मिलना न्यायपूर्ण है। अरस्तु ने भी कहा कि अपराध

Scanned with CamScanner

एक कर्ज है। और अपराधी का कर्ज (दंड) उसे चुकाना जरूरी है। अगर अपराधी को दंड नहीं मिले या वह शारीरिक या मानसिक कष्टों से वंचित रहे तो वह कर्म फल से वंचित रह जाता है। ब्राडले के कथन के कर्ता दंड इसलिए पाता है कि वह इसका अपराधी हो। दंड दंड के हेतु दिया जाता है। अपराधी को दंड देना न्याय युक्त व्यापार है। प्रतिकारवाद के दो रूप हैं-

(a) कठोरवाद :- इस मत के अनुसार घोर अपराध के लिए बड़ा दंड और छोटे अपराध के लिए छोटा दंड मिलना चाहिए (यह tit for tat) के सिद्धांत का प्रतीक है। (b) मृदुल मत :- इस मत के अनुसार अपराधी को सजा सुनाने के पहले उसकी उम्र, उद्देश्य, परिस्थिति आदि का विचार जरूरी है। कोई कम उम्र का व्यक्ति अपराध करता है तो उसे हल्की सजा मिलनी चाहिए कोई किसी का भूख से रोटी चुरा ले तो उसे हल्की सजा मिलनी चाहिए। यही दंड का मृदुल स्वरूप है।

इस सिद्धांत में यह कहा जाता है कि प्रतिकारवाद परिस्थितियों का विचार किए बिना ही अपराधी को दंड देने की बात कहकर ठीक नहीं करता अपराधी को किसी साधन का साध्य मानना ठीक नहीं।

Fauzia
20.05.2020